छात्रवृत्तियाँ एवं शोधवृत्तियाँ

छात्रवृत्तियां (Scholarship)-विद्यार्थी को उसके अध्ययन के दौरान सरकार या किसी अन्य संगठन द्वारा उसके अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया अनुदान है जो उसकी जरुरत (Need), मेरिट (Merit) एवं विद्यार्थी की श्रेणी वार (SC/ST/OBC) अलग अलग होता है जैसे एस.सी./एस.टी/अन्य पिछड़ा वर्ग/पी.डब्ल्यू.डी. विद्यार्थियों को कक्षावार छात्रवृत्ति, प्रतिभा खोज छात्रवित्त आदि।

शोधवृत्ति(Fellowship)- यह शोध (Research) के इच्छुक या शोध कर रहें विद्यार्थी को शोध हेतु सरकार या अन्य संगठनों द्वारा दिया गया वित्तीय अनुदान है। इसके लिए विशेष पात्रता परीक्षा को भी उत्तीर्ण करके निर्धारित शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना पड़ता हैं जैसे जूनियर रिसर्च फैलोशिप,(NET JRF) एवं सीनियर रिसर्च फैलोशिप (SRF) जो लगभग 31000 से 35000 प्रतिमाह होती है।

छात्रवृत्तियाँ (Scholarship) केन्द्र सरकार एवं राज्यसरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवत्तियाँ

कन्द्र सरकार एव राज्यसरकार द्वारा दा जान वाला छात्रवृत्तिया					
छात्रवृत्ति योजना का नाम	पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया	छात्रवृत्ति का विवरण			
नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कॉलर शिप (NMMS) मानवसंसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	 कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी जिनके माता—पिता की वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं हो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 7वीं में 55% अंक प्राप्त किए हो(SC/ST के विद्यार्थी —50%अंक) SIERT उदयपुर द्वारा आवेदन एवं आयोजन 	1. कक्षा से 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 6000 रुपये			
2 राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा—10 राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा—12 राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा—कक्षा—12	1. जो विद्यार्थी 10 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत है वे आवेदन कर सकते हैं 2. कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं में न्यूनतम 50% अंक हो। 3. राजस्थान में स्थित समस्त विद्यालयों के लिए नियमित विद्यार्थी पात्र हैं। 4. मा. शि. बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाकर जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन होता है।	1. मा. एवं उ. मा. परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक वाले प्रथम 50—50 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 11—12वीं से स्नातक—स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करने तक 2000/ प्रतिमाह छात्रवृति । 2. प्रत्येक वर्ष के राज्य स्तर पर प्रथम 20—20 विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान को एक मुश्त 4000/ रुपये तथा शेष 19 विद्यार्थियों को एक मुश्त 2000/ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जायेंगे। 3. परीक्षा प्रारूप ।. बौद्धिक योग्यता परीक्षा—॥ भाषा योग्यता परीक्षा—॥ शीक्षिक योग्यता परीक्षा—			
3. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार	 कक्षा 9वीं न्यूनतम 55% अकों से सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के 50% अकों से उत्तीर्ण हो। परीक्षा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी। मा० शि० बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो चरणों में होगी— मानसिक योग्यता परीक्षा—90 अंक—90 प्रश्न—90 मिनट 	 राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 1000 विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। 			

ii. शैक्षिक योग्यता परीक्षा-90 अंक-90 प्रश्न-90 मिनट

_		0 (0) (1) (0) (0) (1)	0 0()
4. इंस्पायर (INSPIRE) छात्रवृत्ति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,	1.	10+2 परीक्षा (विज्ञान संकाय) में मेरिट वाले विद्यार्थियों को बी.एस.सी. या एम.एस.सी. इंटीग्रेटेड कोर्स या एम.	1. पात्र विद्यार्थियों को 80,000 प्रतिवर्ष देय है।
भारत सरकार		एस. में प्रवेश लेने पर देय।	
	2.	प्रतिभावन विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के प्रति उच्च	
		शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु।	
5. मेरिट छात्रवृत्ति योजना	1.	माध्यमिक परीक्षा में प्रथम 15 मेरिट स्थान प्रतिवर्ष	> २ वर्ष तक ४०० ∕ – प्रतिमाह
	2.	प्रवेशिक परीक्षा में प्रथम 10 मेरिट स्थान प्रतिवर्ष	▶ 2 वर्ष तक 400 / — प्रतिमाह
	3.	उच्च माध्यमिक परीक्षा में संकाय वार प्रथम स्थान	🕨 ३ वर्ष तक ५०० / — प्रतिमाह
	4.	वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम स्थान	🕨 ३ वर्ष तक ५०० / — प्रतिमाह
6. उच्च शिक्षा हेतु केन्द्रीय	1	स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा में महाविद्यालय या	1. स्नातक अध्ययन के दौरान
छात्रवृति योजना		विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में सामान्य	10,000 / — प्रतिवर्ष
मानवसंसाधन एवं विकास		या प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययनरत हो	2. स्नात्तकोतर अध्ययन के
मंत्रालय, एवं मा. शि. बोर्ड	2.	अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक नहीं	दौरान या पाँच वर्षीय कोर्स
राजस्थान अजमेर		हो।	में चौथे एवं पाँचवें वर्ष में
www.rejeduboard.nic.in	3.	स्नातक वं स्नात्तकोतर कक्षा में अध्ययन हेतु 5 वर्ष	20000 / — प्रतिवर्ष
		तक देय हैं।	
7. अनुसूचित जाति, जनजाति,	1.	कक्षा ६ में प्रवेश,	
देवनारायण गुरुकुल योजना में		निश्शुल्क शिक्षा, आवास, योजना, पौशाक,	
विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति		पाट्यपुस्तकों की सुविधा	
i. जनजातीय क्षेत्रीय विकास,	2.	कक्षा ९ में प्रवेश,	
विभाग योजना		निश्शुल्क शिक्षा, आवास, पौशक, पाठ्यपुस्तकों की	
ii. देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति		सुविधा	
योजना			
iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना			
		TOT 7111 TI 4011 TI TOTAL	
8. इंस्पायर (INSPIRE) रिवार्ड	1.	कक्षा छठी से 10वीं तक राजकीय या निजी मान्यता	
योजना विज्ञान एवं	1.	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित	
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत	1.		
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार		प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है।	विज्ञान मॉडल हेतु देय।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति		प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त	विज्ञान मॉडल हेतु देय। —कक्षावार एवं वर्गवार
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार		प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के	विज्ञान मॉडल हेतु देय।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति		प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक	विज्ञान मॉडल हेतु देय। —कक्षावार एवं वर्गवार
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति	\	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी	विज्ञान मॉडल हेतु देय। —कक्षावार एवं वर्गवार
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे।	विज्ञान मॉडल हेतु देय। —कक्षावार एवं वर्गवार
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक	विज्ञान मॉडल हेतु देय। —कक्षावार एवं वर्गवार
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो।	विज्ञान मॉडल हेतु देय। —कक्षावार एवं वर्गवार अलग—अलग राशि देय है।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक -
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक -
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक – 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नातकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय 11. प्री कारगिल, कारगिल युद्ध	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु भी छात्रवृत्ति । कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत उनके आश्रितों को	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या अधिकतम 3000/- रुपये जो भी कम हो।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय 11. प्री कारगिल, कारगिल युद्ध तथा उसके पश्चात् विभिन्न	A A A	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु भी छात्रवृत्ति ।	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या अधिकतम 3000/- रुपये जो भी कम हो।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय 11. प्री कारगिल, कारगिल युद्ध तथा उसके पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य आपातकालीन	A A A	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु भी छात्रवृत्ति । कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत उनके आश्रितों को	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या अधिकतम 3000/- रुपये जो भी कम हो।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय 11. प्री कारगिल, कारगिल युद्ध तथा उसके पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में शहीद या	A A A	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु भी छात्रवृत्ति । कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत उनके आश्रितों को	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या अधिकतम 3000/- रुपये जो भी कम हो।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय 11. प्री कारगिल, कारगिल युद्ध तथा उसके पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में शहीद या स्थायी विकलांग या पैरा	A A A	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु भी छात्रवृत्ति । कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत उनके आश्रितों को	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या अधिकतम 3000/- रुपये जो भी कम हो।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय 11. प्री कारगिल, कारगिल युद्ध तथा उसके पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में शहीद या स्थायी विकलांग या पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद	A A A	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु भी छात्रवृत्ति । कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत उनके आश्रितों को	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या अधिकतम 3000/- रुपये जो भी कम हो।
योजना विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार 9. पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार 10. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय 11. प्री कारगिल, कारगिल युद्ध तथा उसके पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में शहीद या स्थायी विकलांग या पैरा	A A A	प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने गणित एवं विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति, सीमावर्ती क्षेत्र के ओबीसीअल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा छठी से 10 वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यार्थी निरन्तर कक्षाएँ उत्तीर्ण करता रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अभिभावक की वार्षिक आय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को कक्षा 11 वीं से पी.एच.डी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु भी छात्रवृत्ति । कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत उनके आश्रितों को	विज्ञान मॉडल हेतु देय। -कक्षावार एवं वर्गवार अलग-अलग राशि देय है। कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक - 7000 से 10000 अधिकतम स्नातक या स्नात्तकोतर कक्षा हेतु वास्तविक फीस या अधिकतम 3000/- रुपये जो भी कम हो।

12. मौलाना आजाद राष्ट्रीय	अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों को	
छात्रवृत्ति योजना	छात्रवृत्ति	
13. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,	विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी के	
भारत सरकार	आवास, भोजन एवं शिक्षण सामग्री का खर्च वहन करना	
14. अल्पसंख्यक बालिकाओं के	–अध्ययनार्थ आवास हेतु निश्शुल्क सुविधा	
लिए छात्रावास		
सुविधा—जयपुर, कोटा, अजमेर	–माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 200000/–	
	से कम हो	
15. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार	कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त	कक्षा 10-75000 / -
	<u> ভারা</u>	कक्षा 12-100000 /-
16. कक्षा 12 में 75% से अधिक	कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक	5000 / - एक मुश्त
अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं		
हेतु पुरस्कार राज्य सरकार		
द्वारा		
17. बालिकाओं के लिए विदेश में	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की मेरिट में	विदेश में स्नातक शिक्षा की
स्नातक स्तर की सुविधा	आने वाली प्रथम तीन छात्राएँ	सुविधा
18. गार्गी पुरस्कार योजना	कक्षा 10वीं में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली	कक्षा 11-3000/-
	सभी छात्राएँ	कक्षा 12-3000 / -

अनुप्रति योजना

- 1. इस योजना के तहत् एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, मिनोरिटी एवं ई.डब्ल्यूएस वर्ग के वे छात्र—छात्राए पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपयें 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता—पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल—11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों।
- 2. योजना के तहत् विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र—छात्राओं की न्यूनतम निम्नानुसार होगी—

क्रसं	परीक्षा	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता	पात्र छात्र–छात्राओं की
					कूल संख्या
1.	यूपीएसी द्वारा	प्रतिष्ठित	01 वर्ष	• स्नातक / स्नातक के अंतिम	200
	आयोजित सिविल सेवा	संस्थानों के		दो वर्षों में अध्ययनरत एवं	• SC- 35
	परीक्षा	माध्यमों से		• कक्षा 12 में 70 प्रतिशत अंक	• ST-25
		75,000 रूपयें			• OBC-45

2.	आरपीएसी द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा	अन्य संस्थानों के माध्यमों से 50,000 रूपयें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यमों से 50,000 रूपयें अन्य संस्थानों के माध्यमों से 40,000 रूपयें	01 वर्ष 01 वर्ष 01 वर्ष	 स्नातक / स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 60 प्रतिशत अंक स्नातक / स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 65 प्रतिशत अंक स्नातक / स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 55 प्रतिशत अंक 	• MBC-10 • EWS-20 • OTHERS-65 500 • SC- 80 • ST-60 • OBC-105 • MBC-25 • EWS-50 • OTHERS-180
3.	आरपीएसी द्वारा आयोजित सब इन्स्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मेट्रिक्स में पे लेवल—10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं	20,000 रूपयें	6 माह	 स्नातक / स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 55 प्रतिशत अंक 	800 • SC- 130 • ST-100 • OBC-170 • MBC-40 • EWS-80 • OTHERS-280
4.	रीट	15,000 रूपयें	4 माह	• बी.एड / बीएसटीसी एवं • कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक	1500 • SC- 240 • ST-180 • OBC-315 • MBC-75 • EWS-150 • OTHERS-540
5.	आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे:— पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं	10,000 रूपयें	4 माह	 स्नातक में अध्ययनरत / 12वीं तथा आरएससीआईटी अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल / उच्च स्तरीय कम्प्यूटर सर्टिफिट / डिप्लोमा एवं कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक 	1200 • SC- 195 • ST-145 • OBC-255 • MBC-60 • EWS-120 • OTHERS-425
6	कांस्टेबल परीक्षा	10,000 रूपयें	4 माह	• कक्षा 10 में 50 प्रतिशत अंक	800 • SC- 130 • ST-100 • OBC-170 • MBC-40 • EWS-80 • OTHERS-280
7	इंजिनियनियरिंग / मेडिकल प्रवेश परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यमों से 70,000 रूपयें	2 वर्ष (कक्षा 11वीं एवं 12 में)	• कक्षा १० में ७० प्रतिशत अंक	• SC- 640 • ST-480 • OBC-840 • MBC-200 • EWS-400

		अन्य संस्थानों	2 वर्ष	• कक्षा १० में ६० प्रतिशत अंक	• OTHERS- 1440
		के माध्यमों से	(कक्षा		
		55,000 रूपयें	11वीं		
			एवं 12		
			में)		
8	क्लैट परीक्षा	प्रतिष्ठित	1 वर्ष	• कक्षा १० में ६० प्रतिशत अंक	1000
		संस्थानों के			• SC- 160
		माध्यमों से			• ST-120
		40,000 रूपयें			• OBC-210
		अन्य संस्थानों	1 वर्ष	• कक्षा 10 में 50 प्रतिशत अंक	• MBC-50
			1 44	• प्रदा। १० म ५० प्रातशत अक	• EWS-100
		के माध्यमों से			OTHERS-360
		25,000 रूपयें			

- नोट :— परीक्षार्थी की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता (12वीं अथवा 10वीं) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा जबकि आरबीएसई बोर्ड के 10वीं / 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।
- 3. प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपयें की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40000 रूपयें की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास/भोजन इत्यादि के व्यवस्था की जा रही हो।

शोधवृत्ति(Fellowship)

शोधवृत्ति का नाम	आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता	शोधवृत्ति का विवरण
1.किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (KVPY) www.kvpy.iisc.ernet.in ऑनलाइन प्रक्रिया	1. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें विज्ञान में रिसर्च कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा वैज्ञानिक प्रतिभाओं की खोज करना। 2. कक्षा 10वीं में गणित व विज्ञान में 75 प्रतिशत (एससी / एसटी / दिव्यांग के लिए 65 प्रतिशत), 12वीं विज्ञान विषय संकाय में गणित व विज्ञान विषयों में 60 प्रतिशत (एससी / एसटी / दिव्यांग के लिए 50 प्रतिशत), प्राप्त किये हो। विज्ञान संकाय में अण्डर ग्रेजुएट कोर्स या एम.एस.सी. कोर्स में प्रवेश लिया हो।	

2. प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप (PRF) www.may2021.pmrf.in	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय विज्ञान संस्थान (IIS), भारतीय शिक्षा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (IISERs), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (NITs), केन्द्रीय विश्वविद्यालय से स्नातक के अन्तिम वर्ष, एम.टेक. एम.एस.सी. व पी. एचडी में अध्ययन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शोधवृति दी जाती हैं।	 ❖ प्रतिवर्ष 1000 छात्र ❖ प्रथम एवं द्वितीय वर्ष–70,000 प्रतिमाह ❖ तीसरे वर्ष–75,000 प्रतिमाह ❖ चौथे वर्ष–80,000 प्रतिमाह पांचवे वर्ष–80,000 प्रतिमाह
3. यूजीसी नेट जेआरएफ (च्ळ६ .श्रत्थद्ध फैलोशिप	यूजीसी के माध्यम से एनटीए के द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी	यूजीसी नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम दो वर्ष 31,000 रुपये प्रतिमाह और अगले तीन वर्ष में सीनियर रिसर्च फैलोशिप के रूप में 35,000 रुपये प्रतिमाह रिसर्च हेतु दिये जाते हैं।